**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-5040**
**उत्तर देने की तारीख-23/03/2026**

**केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षण पदों पर रिक्तियाँ**

**5040. श्री लालजी वर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों/केंद्रीय संस्थानों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;
(ख) क्या इन पदों में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के लिए आरक्षण किया गया है, यदि नहीं, तो रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का इन आरक्षित रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ग): केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (सीएचईआई), संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों आदि के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। इन पदों पर भर्ती के लिए प्राधिकार संबंधित संचालक मंडल/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित है।

रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया ताकि इन सीएचआईआई में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सके। उक्त अधिनियम के अनुसरण में जारी दिनांक 12.7.2019 की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया गया है।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से मिशन मोड में अपने संस्थानों में शेष  रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने एससी, एसटी और ओबीसी सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। शिक्षा मंत्रालय ने भी सितंबर 2022 में सभी सीएचईआई से मिशन मोड में रिक्तियां भरने का आग्रह किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से फिर से मिशन मोड में सभी शेष रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर, 2022 से केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियां भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती अभियान शुरू किए हैं। दिनांक 24.01.2026 तक (अर्थात रोजगार मेले की अंतिम तारीख), सभी सीएचईआई द्वारा 17878 संकाय पदों (2216 एससी, 872 एसटी, 3778 ओबीसी) सहित कुल 30720 पदों  (3692 एससी, 1561 एसटी, 6451 ओबीसी) को मिशन मोड में भरा गया है।

*****